श्री विनय कुमार, भा०प्र०से०, मिशन निदेशक, बिहार विकास मिशन की अध्यक्षता में दिनांक 28.09.2018 को शासी निकाय कार्यालय में आहूत कृषि उप मिशन की समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही

उपस्थिति - पंजी के अनुसार

बैठक में कृषि उप मिशन अंतर्गत कृषि विभाग एवं खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के नोडल पदाधिकारी उपस्थित नहीं हुए | बैठक में कृषि उप मिशन अंतर्गत कृषि रोड मैप के लक्ष्यों के प्राप्ति हेतु संचालित योजनाओं से संबंधित विभागवार अद्यतन प्रगति से संबंधित प्रस्तुतीकरण प्रस्तुत किया गया | समीक्षा के क्रम में पाए गए मुख्य बिंदु निम्नवत है :-

कृषि विभाग:-

1. समीक्षात्मक बैठक में नोडल पदाधिकारी की अनुपस्थिति के कारण विभाग द्वारा कृषि रोड मैप अंतर्गत निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु संचालित योजनाओं की समीक्षा नहीं की जा सकी |
2. साप्ताहिक समीक्षा में कृषि रोड मैप अंतर्गत निर्धारित लक्ष्य एवं बजटीय उपलब्धता आधारित लक्ष्य के आलोक में सूचकांकवार / योजनावार उपलब्धि संबंधित आंकड़े प्रतिवेदित किया जाना चाहिए |
3. बैठक में अनिवार्य रूप से नोडल पदाधिकारी की उपस्थिति के सम्बन्ध में प्रधान सचिव, कृषि का ध्यान आकृष्ट कराने का निर्णय लिया गया |

पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग:-

1. समीक्षा के क्रम में पशुपालन प्रक्षेत्र अंतर्गत 2017-18 में टीकाकरण में 103.6% उपलब्धि के सम्बन्ध में विचार दिया गया कि विभाग को उपलब्ध आवंटन एवं व्यय के आलोक में इसकी युक्तिसंगत समीक्षा की जानी चाहिए तथा स्वतंत्र संस्था/एजेंसी के द्वारा आँकड़ों के सत्यापन कराने की व्यवस्था किया जाना श्रेयस्कर होगा |
2. मुर्गी पालन एवं बकरी पालन जैसी योजनाओं के कार्यान्वयन में वास्तविक चुनौतियों एवं बाधाओं का वस्तुपरक विश्लेषण कर, इसके प्रभावकारी क्रियान्वयन के बिंदु पर विभाग को विचार करना चाहिए |

3. पशुपालन, मत्स्य तथा गव्य प्रक्षेत्र अंतर्गत कृषि रोड मैप में योजनावार निर्धारित लक्ष्य एवं बजटीय उपबंध आधारित लक्ष्य के बीच के अन्तर (Gap) को ध्यान में रखते हुए विभाग द्वारा उपलब्धि संबंधित प्रतिवेदन उपलब्ध कराया जाना चाहिए |

<u>पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग</u>:-

1. फ़ॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया (FSI) से 2017 में हरित आच्छादन में वृद्धि संबंधित अंतिम प्रतिवेदन शीघ्र प्राप्त किया जाना चाहिए |
2. माननीय उच्च न्यायालय एवं सर्वोच्य न्यायलय द्वारा प्रदूषण नियंत्रण से संबंधित मुख्य Intervention (हस्तक्षेप) के बिंदु (प्लास्टिक, ठोस अवशिष्ट, मेडिकल अवशिष्ट आदि) पर बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अद्यतन जानकारी प्राप्त की जाए |
3. बैठक में बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के वरीय सक्षम पदाधिकारी अद्यतन प्रतिवेदन के साथ भाग लेने हेतु सक्षम प्राधिकार को अनुरोध पत्र भेजा जाए |

<u>सहकारिता विभाग:-</u>

1. सब्जी फेडरेशन के गठन हेतु बायलॉज निर्माण कार्य तथा पंजीकृत प्रखंड स्तरीय सब्जी उत्पादन सहकारी समिति को शीघ्र क्रियाशील किया जाना अपेक्षित है |
2. फसल सहायता योजना अंतर्गत किसानों का ऑनलाइन पंजीकरण कार्य में तेजी लाने की आवश्यकता है |

<u>ऊर्जा विभाग:</u>-

1. सिंचाई हेतु समर्पित फीडर निर्माण अंतर्गत 296 विद्युत् उपकेंद्र में 84 पूर्ण एवं 1312 फीडर निर्माण में 204 पूर्ण बताया गया | लंबित 212 विद्युत् उपकेंद्र एवं 1208 फीडर निर्माण कार्य को निर्धारित समय सीमा में पूरा करने हेतु सघन अनुश्रवण अपेक्षित है |
2. समीक्षा के क्रम में पाया गया कि सिंचाई कार्य हेतु विद्युत् संबंधन लक्ष्य 6.95 लाख के विरुद्ध अब तक मात्र 235 को कनेक्शन दिया गया है | इस कार्य में शीघ्रता लाने की आवश्यकता है |

<u>राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग:-</u>

1. विशेष सर्वेक्षण कार्य अंतर्गत 45762 राजस्व ग्राम में से 44436 (97%) का हवाई सर्वेक्षण, 714 (1.6%) का खानापूरी, 266 (0.6%) का प्रारूप प्रकाशन तथा 2 (0.004%) का अंतिम प्रकाशन हुआ है | सर्वे कार्य में गति लाने की आवश्यकता है |

2. कृषि उप मिशन की समीक्षा बैठक में विशेष सर्वेक्षण कार्य एवं भूमि सुधार कार्यक्रमों के साथ-साथ भू-अर्जन की विस्तृत समीक्षा किये जाने हेतु अद्यतन जानकारी प्राप्त कर प्रस्तुत किये जाने हेतु उप मिशन निदेशक, कृषि को निदेश दिया गया।

<u>जल संसाधन विभाग एवं लघु जल संसाधन विभाग :-</u>

1. वर्ष 2017-18 में अतिरिक्त एवं ह्रासित सिंचाई क्षमता सृजन अंतर्गत लक्ष्य के विरुद्ध 57.2% की उपलब्धि हुई है। 2018-19 में अतिरिक्त एवं ह्रासित सिंचाई क्षमता सृजन अंतर्गत लक्ष्य (2.27 लाख हेक्टेयर) के विरुद्ध 2.42% (0.055 लाख हेक्टेयर) की उपलब्धि हुई है। इसमें गति लाना अपेक्षित है।
2. वर्ष 2017-18 में कमांड क्षेत्र विकास 27.5%, बाढ़ से मुक्त करने की योजना में 33.8% की उपलब्धि हुई है। लक्ष्य के अनुरूप उपलब्धि के लिए गति लाया जाना आवश्यक है।
3. कृषि रोड मैप में योजना/घटकवार निर्धारित लक्ष्य एवं बजट आवंटन आधारित लक्ष्य के अंतर (Gap) को ध्यान में रखकर उपलब्धि की समीक्षा की जानी चाहिए।

<u>खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग:-</u>

समीक्षात्मक बैठक में नोडल पदाधिकारी की अनुपस्थिति के कारण विभाग द्वारा कृषि रोड मैप अंतर्गत निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु संचालित योजनाओं की समीक्षा नहीं की जा सकी। इस सम्बन्ध में सचिव, खाद्य उपभोक्ता संरक्षण विभाग का ध्यान आकृष्ट कराने का निदेश दिया गया।

सधन्यवाद बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

3/A"

(विनय कुमार)
मिशन निदेशक,
बिहार विकास मिशन,
बिहार, पटना

ज्ञापांकः-06/बि0वि0मि0(कृषि उप मिशन)-19/18.....पटना, दिनांक-.....

प्रतिलिपिः-प्रधान सचिव/सचिव, पर्यावरण,वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग/ कृषि विभाग /राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग /ऊर्जा विभाग /जल संसाधन विभाग/लघु जल संसाधन विभाग /सहकारिता विभाग/ खाद्य एवं उपभोक्ता सरंक्षण विभाग /पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतू समर्पित।

(अरुण कुमार ठाकुर)
निदेशक, उप-मिशन (कृषि)

ज्ञापांकः-06/बि0वि0मि0(कृषि उप मिशन)-19/18.2485.पटना, दिनांक-03/10/18

प्रतिलिपिः-सदस्य सचिव-सह-प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग बिहार, पटना को सूचनार्थ समर्पित ।

(अरुण कुमार ठाकुर)
निदेशक, उप-मिशन (कृषि)

ज्ञापांकः-06/बि0वि0मि0(कृषि उप मिशन)-19/18.2485.पटना, दिनांक-03/10/18

प्रतिलिपिः-मिशन निदेशक, बिहार विकास मिशन, बिहार, पटना को सूचनार्थ समर्पित।

(अरुण कुमार ठाकुर)
निदेशक, उप-मिशन (कृषि)

ज्ञापांकः-06/बि0वि0मि0(कृषि उप मिशन)-19/18.2485.पटना, दिनांक-03/10/18

प्रतिलिपिः सदस्य सचिव, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बिहार पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(अरुण कुमार ठाकुर)
निदेशक, उप-मिशन (कृषि)

ज्ञापांकः-06/बि0वि0मि0(कृषि उप मिशन)-19/18.2485.पटना, दिनांक-.03/10/18

प्रतिलिपिः-मुख्य सचिव, बिहार-सह-अध्यक्ष, कार्यकारी समिति, बिहार विकास मिशन के विशेष कार्य पदाधिकारी/अध्यक्ष, उप मिशन-सह-विकास आयुक्त के प्रधान आप्त सचिव को कृपया सूचनार्थ प्रेषित।

(अरुण कुमार ठाकुर)
निदेशक, उप-मिशन (कृषि)

ज्ञापांकः-06/बि0वि0मि0(कृषि उप मिशन)-19/18.2485.पटना, दिनांक-.03/10/18

प्रतिलिपिः-नोडल पदाधिकारी, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग/जल संसाधन विभाग/लघु जल संसाधन विभाग /कृषि विभाग /सहकारिता विभाग /पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग /ऊर्जा विभाग/ खाद्य एवं उपभोक्ता सरंक्षण विभाग /पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतू प्रेषित।

(अरुण कुमार ठाकुर)
निदेशक, उप-मिशन (कृषि)